आपातकालीन प्रावधान

आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित हैं। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाते हैं.

संविधान तीन प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है -

(1) राष्ट्रीय आपातकाल
(2) संवैधानिक आपातकाल
(3) वित्तीय आपातकाल

- राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की सिफारिश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या धमकी के मामले में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
- इस तरह की हर उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए और यह तब तक परिचालन में रहेगा, जब तक कि संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों को इसके मुद्दे की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से मंजूरी नहीं मिल जाती।
- उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित तिथि से 6 महीने का नया पट्टा मिलता है.
- 44 वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पूरे भारत या केवल एक भाग के संबंध में की जा सकती है।
- आपातकाल की घोषणा के दौरान संघ किसी भी राज्य को कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है (सन्दर्भ: अनुच्छेद 353(a)).
- आपातकाल के दौरान संसद एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा के सामान्य जीवन का विस्तार कर सकती है, और उद्घोषणा के 6 महीने से अधिक समय बाद तक काम करना बंद नहीं हुआ है।
- लोकसभा का सामान्य जीवन 1976 में केवल एक बार बढ़ाया गया था।
- आपातकाल के दौरान, संसद राज्य विषयों के बारे में कानून बना सकती है।
- आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अपने आदेश से संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन (अनुच्छेद 268 - 279) से संबंधित संविधान के प्रावधानों को संशोधित कर सकते हैं। ऐसा आदेश संसद द्वारा अनुमोदन के अधीन है (अनुच्छेद 354) और उस वित्तीय वर्ष से परे इसका कोई प्रभाव नहीं है, जिसमें स्वयं उद्घोषणा संचालित करना बंद कर देता है.

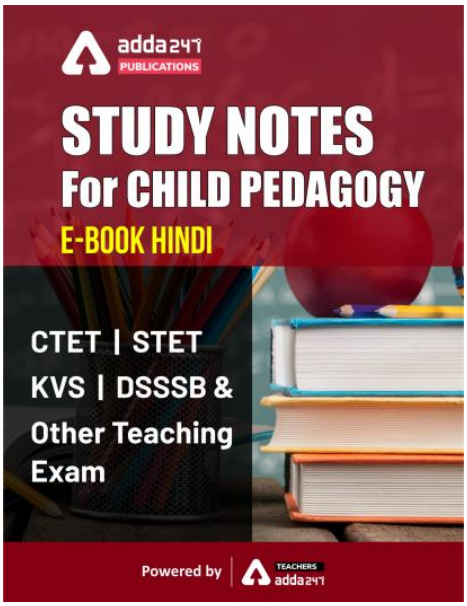

मौलिक अधिकारों पर आपातकाल के प्रभाव:

- अनुच्छेद 358 प्रदान करता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, आपातकाल के दौरान राज्य के खिलाफ अस्तित्वहीन होंगे।
- अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों को स्थानांतरित करने का अधिकार निलंबित किया जा सकता है।
- आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है.

- अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की पहली घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को NEFA में चीनी आक्रामकता को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।
- पहली बार 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा "आंतरिक गड़बड़ी" के आधार पर की गई थी।
- संवैधानिक मशीनरी की विफलता के लिए आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है जब किसी भी कारणों से राज्य की संवैधानिक सरकार को नहीं किया जा सकता है. (सन्दर्भ: अनुच्छेद 356)
- अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के दौरान, केंद्र को राज्य सरकार को निलंबित करने की शक्ति नहीं मिलती है।
- संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में, राज्य विधानमंडल को निलंबित कर दिया जाता है और राज्य के कार्यकारी अधिकार पूरे या आंशिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।
- अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के तहत, संसद राज्य के विषयों के संबंध में कानून बना सकती है; लेकिन दूसरे प्रकार के अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा के तहत, वह राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को राज्य के लिए विधायिका को अपनी शक्ति सौंप सकता है।
- संवैधानिक मशीनरी की विफलता के लिए आपातकाल की घोषणा, संसद द्वारा तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है. (अनुच्छेद 356(4), प्रावधान 1).